



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

सोमवार, 22 दिसम्बर, 2025/01 पौष, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 16th December, 2025

No. TPT-C(9)-8/2002.—The Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by sub-section (6) of Section-41 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988) and
206—राजपत्र/2025—22—12—2025 (9221)

all other powers enabling him in this behalf is pleased to allot/release registration mark **HP-12T alongwith Serial No. 0001 to 9999** to the Registering and Licensing Authority, Nalagarh, District Solan, Himachal Pradesh for registration of motor vehicles with effect from the publication of this notification in the H.P. Rajpatra (e-Gazette) in the public interest.

By order,
R.D. NAZEEM, IAS,
Addl. Chief Secretary (Transport).

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-09, 18 दिसम्बर, 2025

संख्या: पीसीएच-एचए (1)3/2024-60507-12.—क्योंकि विभाग में, जिला सोलन, की निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठन हेतु प्रस्तावनाएं विचाराधीन हैं;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला सोलन, के ग्राम सभा क्षेत्रों, जिनका विवरण निम्न अनुसूची में दिया गया है, को निम्नानुसार पुनर्गठित करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के ई-राजपत्र में प्रकाशित करने एवं जिला सोलन के उपायुक्त की, इस सम्बन्ध में सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश देते हैं;

यदि निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो वे अपने आक्षेप या सुझाव इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से सात (7) दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला सोलन को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् सुझाव या आक्षेप, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे।

राज्य सरकार, जिला सोलन, के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठन बारे में अन्तिम अधिसूचना, इस सम्बन्ध में उपायुक्त जिला सोलन, की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी:

क्र० सं०	ग्राम सभा का नाम जिससे क्षेत्रों/ग्रामों को अपवर्जित किया जाना है	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा से अपवर्जित किए जाने वाले ग्रामों के नाम	ग्राम सभा का नाम जिसमें कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्राम को सम्मिलित किया जाना है	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्राम सभा में पुनर्गठन उपरान्त समस्त ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1. विकास खण्ड नालागढ़						
1.	चमदार	1. घाट 2. दल्लाम्ब 3. पट्टा 4. रौडी 5. सवासन 6. चमदार 7. ननोवा 8. बिटठन	1. घाट 2. दल्लाम्ब 3. पट्टा 4. रौडी	दिग्गल	1. दिग्गल 2. कामल 3. ओडा 4. क्यारडू 5. सलवाना 6. पोगनी 7. भनेड 11. धर्मणा	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्राम/ग्रामों को छोड़कर, कोष्ठ संख्या 3 के शेष ग्राम, ग्राम सभा, "चमदार" में रहेंगे।

		9. चंगर घुमारा 10. बाल 11. निसल 12. निहारी 13. मन्लोग खुर्द 14. कटटल 15. जगेड			12. डोडन 13. चकली 14. जानडू 15. मसोल 16. चाहनन 17. जंगल पोगनी 18. घाट 19. दलछाम्ब 20. पटटा 21. रौडी	
2. विकास खण्ड कुनिहार						
2.	शहरोल	1. धैना 2. बटेड 3. शहरोल कुईरू 4. ल्वाहा 5. स्मोह ब्राहमणा 6. कल्याणपुर	1. धैना 2. बटेड	बड़ोग	1. भजोलू 2. व्यान्तलू 3. चेट 4. गूराडू 5. खडक्याली 6. ठागर 7. धारजट्टा 8. धारब्राहमणा 9. रझीणा 10. स्वावा 11. ब्राहमणा 12. बड़ोग 13. ननोग 14. तनसेटा 15. समलेच 16. धैना 17. बटेड	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्राम/ग्रामों को छोड़कर, कोष्ठ संख्या 3 के शेष ग्राम, ग्राम सभा, "शहरोल" में रहेंगे।
3.	हनुमान बड़ोग	1. बड़ोगमन लोग 2. हनुमान बड़ोग 3. नंवा 4. मंधोवटी 5. डम्लाना वाला 6. डम्लाना जेरी 7. जंगल मनलोग 8. मनान 9. रणोह शासन 10. रणोह खालसा 11. गंदेवटा 12. बहल 13. कोटला	1. बड़ोग मनलोग	दाड़ला	1. दाडला 2. कोटला 3. पुजारिया 4. स्यार 5. काकडा 6. नौणी 7. जावी 8. ईयू 9. मनलोग बड़ोग	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्राम/ग्रामों को छोड़कर, कोष्ठ संख्या 3 के शेष ग्राम, ग्राम सभा, "हनुमान बड़ोग" में रहेंगे।
3. विकास खण्ड धर्मपुर						
4.	जाबली	1. रानी गांव 2. कुराड़ 3. गाही 4. डीब 5. नाहौण 6. भाट का गांव 7. मंझेड 8. मांझ 9. राजडी 10. राजपुरी 11. शमराल 12. शेरला 13. शेवला शाई 14. सुज्जी चारजा	1. रानी गांव	चम्मों	1. गड़यार 2. कैन्थी 3. बटोल खुर्द 4. बटोल कला 5. सानना 6. नकयार 7. ऑयल 8. डोल 9. चम्मों 10. चवाजा 11. करोल 12. बायला बलाउ 13. छदो 14. शौडों 15. रानी गांव	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्राम/ग्रामों को छोड़कर, कोष्ठ संख्या 3 के शेष ग्राम, ग्राम सभा, "जाबली" में रहेंगे।

4. विकास खण्ड सोलन						
5.	सुल्तानपुर	1. घलयाना 2. लाडों 3. मंझोली 4. कोटला 5. नेरी खुर्द 6. मशोन 7. दियुड 8. आंजी ब्राहमणा 9. खलोगडा 10. जोल भाईली 11. रामपुर 12. सुल्तानपुर	1. घलयाना	बड़ोग	1. बड़ोग 2. रुन्दन घोड़ों 3. लोहान्जी 4. ढिल्लों 5. थापों 6. घलयाना	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्राम/ग्रामों को छोड़कर, कोष्ठ संख्या 3 के शेषग्राम, ग्राम सभा, "सुल्तानपुर" में रहेंगे।
6.	बोहली	1. नेरीकला 2. क्यारटू 3. काटलकठार 4. बोहली 5. खल्यांटी 6. जोहड़ पटियाला 7. शाया 8. धारों 9. मेंहली 10. मझयार 11. घुवायली 12. सोबडु 13. कठारी 14. मंझलोडी 15. शमलोग 16. जाबलरशेश	1. नेरीकला	सुल्तानपुर	1. लाडों 2. मंझोली 3. कोटला 4. नेरी खुर्द 5. मशोन 6. दियुड 7. आंजी ब्राहमणा 8. खलोगडा 9. जोल भाईली 10. रामपुर 11. सुल्तानपुर 12. नेरीकला	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्राम/ग्रामों को छोड़कर, कोष्ठ संख्या 3 के शेष ग्राम, ग्राम सभा, "बोहली" में रहेंगे।
7.	बीशा	1. बजौर 2. जगल घनाहे 3. बीशा 4. जंगल बीशा 5. घ्यारी 6. काथली	1. बजौर	बाशा	1. शुंगल 2. शुंगल सुरो 3. शडयाल 4. सुरो 5. कुम्हाला 6. बशा 7. बगेट 8. बजौर	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्राम/ग्रामों को छोड़कर, कोष्ठ संख्या 3 के शेष ग्राम, ग्राम सभा, "बीशा" में रहेंगे।

आदेश द्वारा,

सचिव (पंचायती राज)।

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-09, 18 दिसम्बर, 2025

संख्या:पीसीएच-एचए (1)3/2024-60441-50.—क्योंकि विभाग में, जिला कुल्लू, की निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठन हेतु प्रस्तावनाएं विचाराधीन हैं;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कुल्लू,

के ग्राम सभा क्षेत्रों, जिनका विवरण निम्न अनुसूची में दिया गया है, को निम्नानुसार पुनर्गठित करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के ई-राजपत्र में प्रकाशित करने एवं जिला कुल्लू के उपायुक्त को, इस सम्बन्ध में सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश देते हैं;

यदि निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो वे अपने आक्षेप या सुझाव इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से सात (7) दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला कुल्लू को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् सुझाव या आक्षेप, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे।

राज्य सरकार, जिला कुल्लू के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठन बारे में अन्तिम अधिसूचना, इस सम्बन्ध में उपायुक्त जिला कुल्लू की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी।

क्र० सं०	ग्राम सभा का नाम जिससे क्षेत्रों/ग्रामों को अपवर्जित किया जाना है	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा से अपवर्जित किए जाने वाले ग्रामों के नाम	ग्राम सभा का नाम जिसमें कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्राम को सम्मिलित किया जाना है	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्राम सभा में पुनर्गठन उपरान्त समस्त ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1. विकास खण्ड निरमण्ड						
1.	कोटि	1. ब्युणी 2. खानी 3. ठोड़ 4. शालोग 5. शालुरी 6. कोटि धार 7. अमृतुआ 8. पकोरा 9. शरण 10. जोवा 11. देवथान 12. वल्श्रेया 13. कोटि 14. अमृतुआ 15. पकोरा 16. शरण 17. जोवा 18. देवथान 19. बशलैया 20. रगढ़ 21. चटोलनु	1. ब्युणी (खसरा नं० 875-1008, 101-1025, 1027-1040, 1042-1063, 1065-1088, 1090-1284) ^प	कोट	1. नौणी 2. खाजेडा 3. कोट 4. सेऊबाग 5. थौवा 6. कुखडी 7. बगना 8. खरेह 9. डोडा 10. कलारस 11. डगेश 12. मडी 13. डुगा-1 14. पतवा 15. डुगा-2 16. लाऊट 17. धार 18. भेख्या 19. देखा 20. दगोट 21. ताऊली मेरी 22. शरुवरण 23. रेउशल 24. ब्युणी	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्राम ब्युणी को छोड़कर, कोष्ठ संख्या 3 के शेष ग्राम, ग्राम सभा, "कोटि" में रहेंगे।

आदेश द्वारा,

सचिव (पंचायती राज)।

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-09, 18 दिसम्बर, 2025

संख्या: पीसीएच-एचए (1)3/2024-60451-64.—क्योंकि विभाग में, जिला कांगड़ा की निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठन हेतु प्रस्तावनाएं विचाराधीन हैं;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कांगड़ा, के ग्राम सभा क्षेत्रों, जिनका विवरण निम्न अनुसूची में दिया गया है, को निम्नानुसार पुनर्गठित करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के ई-राजपत्र में प्रकाशित करने एवं जिला कांगड़ा, के उपायुक्त को, इस सम्बन्ध में सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश देते हैं;

यदि निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो वे अपने आक्षेप या सुझाव इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से सात (7) दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला कांगड़ा, को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् सुझाव या आक्षेप, जो कोई भी हों, ग्रहण न ही किए जाएंगे;

राज्य सरकार, जिला कांगड़ा, के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठन बारे में अन्तिम अधिसूचना, इस सम्बन्ध में उपायुक्त जिला कांगड़ा, की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी:—

क्र० सं०	ग्राम सभा का नाम जिससे क्षेत्रों/ग्रामों को अपवर्जित किया जाना है	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा से अपवर्जित किए जाने वाले ग्रामों के नाम	ग्राम सभा का नाम जिसमें कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्राम को सम्मिलित किया जाना है	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्राम सभा में पुनर्गठन उपरान्त समस्त ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1. विकास खण्ड पालमपुर						
1.	चन्दपुर (लांघा)	1. चौरनाली 2. डूंग 3. कुलानी 4. लांघा 5. चन्दपुर	1. चौरनाली	नच्छीर बन्दला	1. शामलातदेह 2. बोहल 3. झंझारडा 4. नच्छीर 5. भटारका 6. सुरड़ 7. चौरनाली	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्राम/ग्रामों को छोड़कर, कोष्ठ संख्या 3 के शेष ग्राम, ग्राम सभा, "चन्दपुर (लांघा)" में रहेंगे।
2. विकास खण्ड सुराणी						
2.	सिहोरपाई	1. जज्बार 2. नगरोटा 3. मत्याल 4. रतियाल 5. बन चेलियां 6. सिहोरपाई	1. जज्बार	घलौड़ा	1. घलौड़ा 2. झनियारा कालेश्वर 3. पंजलेहर 4. फेरा 5. सलेहड़ 6. जज्बार 7. दरोली	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्राम/ग्रामों को छोड़कर, कोष्ठ संख्या 3 के शेष ग्राम, ग्राम सभा, "सिहोरपाई" में रहेंगे।

3.	घलौर	1. दरोली 2. घलौर उपरला 3. कुम्बकर 4. कसेटी 5. घलौर खास 6. चुरदू 7. पलाही 8. बल्लिया 9. बहन्कला 10. रजोल पलाही 11. रोहाडा 12. सासन	1. दरोली			कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्राम/ग्रामों को छोड़कर, कोष्ठ संख्या 3 के शेष ग्राम, ग्राम सभा, "घलौर" में रहेंगे।
4.	बग	1. गहल 2. जयाडा 3. कोका 4. ढाटी 5. ढाटीपरमाला 6. नाहली 7. पतरेली 8. मैरा 9. बग्गी 10. चकबन कालीधरा	1. गहल 2. जयाडा	सिल्ह कराल	1. अम्बाडा 2. कुटाहन 3. कराल 4. किहड़ी 5. झलोट 6. भटलाहडू 7. सिल्ह 8. भटवाल 9. मतेहड़ 10. रोहल 11. गहल 12. जयाडा	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्राम/ग्रामों को छोड़कर, कोष्ठ संख्या 3 के शेषग्राम, ग्राम सभा, "बग" में रहेंगे।
5.	थिल	1. जमलेहड 2. भलाडकलां 3. लोहारकड 4. सरारकड 5. कुरेड 6. चलोई 7. थाती 8. थिल 9. फरेडा 10. बडोरकड 11. भडोली 12. भार्ममदियारा 13. भलाड खुर्द 14. रीडि 15. लटेहड़ 16. संगयाड	1. जमलेहड 2. भलाड कलां 3. लोहारकड 4. सरारकड	डोल खरियाना	1. कुकडीयाना 2. खालग 3. जमूला 4. जमूली 5. टिक्कर 6. डोला 7. बाग 8. सौरकलां 9. सौर खुर्द 10. रिजर्वजंगल जमूली 11. रिजर्व जंगल खालग 12. जमलेहड 13. भलाडकलां 14. लोहारकड 15. सरारकड	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्राम/ग्रामों को छोड़कर, कोष्ठ संख्या 3 के शेष ग्राम, ग्राम सभा, "थिल" में रहेंगे।
6.	डोल खरियाना	1. सौर खुर्द 2. कुकडीयाना 3. खालग 4. जमूला 5. जमूली 6. टिक्कर 7. डोला 8. बाग 9. सौरकलां 10. रिजर्व जंगल जमूली 11. रिजर्व जंगल खालग 12. जमलेहड 13. भलाडकलां 14. लोहारकड 15. सरारकड	1. सौर खुर्द	पुखरू	1. चौकी 2. दोधरू 3. पुखरू 4. भराडी 5. वासिन 6. सौर खुर्द	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्राम/ग्रामों को छोड़कर, कोष्ठ संख्या 3 के शेष ग्राम, ग्राम सभा, "डोल खरियाना" में रहेंगे।

3. विकास खण्ड नगरोटा सूरियां						
7.	न्यागल	1. भटौली 2. भौंका 3. न्यांगल 4. रिजर्व जंगल वाड़	1. भटौली	त्रिलोकपुर	1. त्रिलोकपुर 2. मंगल 3. नवांशह 4. भटौली	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्राम/ग्रामों को छोड़कर, कोष्ठ संख्या 3 के शेष ग्राम, ग्राम सभा, "न्यागल" में रहेंगे।

आदेश द्वारा,
सचिव (पंचायती राज)।

ब अदालत श्री डीसी राणा, नायब-तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट, सलूणी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री कैलाश चन्द पुत्र लखिया, निवासी गांव ठोला, परगना जून्ढ, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)
वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत विलम्बित जन्म/मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्री कैलाश चन्द पुत्र लखिया, निवासी गांव ठोला, परगना जून्ढ, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 21-03-1966 को ग्राम पंचायत सुन्दला, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था, लेकिन अज्ञानतावश उसके जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत सुन्दला, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सके। अतः ग्राम पंचायत सुन्दला के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में उसका जन्म का विलम्बित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो उजरकर्ता दिनांक 29-12-2025 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजेंट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना-पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी अर्थात् 29-12-2025 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 27-11-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत श्री डीसी राणा, नायब-तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट, सलूणी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

श्रीमती प्रेमो पुत्री श्री सिंह, गांव कैला, परगना मन्जीर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)

वादिनी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत विलम्बित जन्म/मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्रीमती प्रेमो पुत्री श्री सिंह, गांव कैला, परगना मन्जीर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 01-01-1966 को ग्राम पंचायत ब्याणा, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था, लेकिन अज्ञानतावश उसके जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत ब्याणा, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सके। अतः ग्राम पंचायत ब्याणा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में उसका जन्म का विलम्बित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो उजरकर्ता दिनांक 29-12-2025 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजेंट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना-पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी अर्थात 29-12-2025 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 27-11-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत श्री कुशल सिंह, नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील तेलका,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

मिसल नं0 : 67 ना0 तह0/वाचक/उप तह0/तेलका/2025-935-36

दिनांक : 08-12-2025

आरती देवी पुत्री रमेश कुमार गांव घेका, डाकघर पन्ताह, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

वादिनी।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत सेरी, विकास खण्ड सलूणी

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में प्राप्त दस्तावेज क्रमशः 1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या: HFW-B&D/CMO-CBA/2025-18417, dated 28-08-2025, 2. शपथ-पत्र, 3. जन्म रिपोर्ट, 4. अप्रायप्ता प्रमाण-पत्र, 5. परिवार नकल, 6. आधार कार्ड, जिसमें आवेदिका आरती देवी पुत्री

रमेश कुमार गांव घेका, डाकघर पन्ताह, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका आरती देवी का नाम एवं जन्म दर्ज न हुआ है, जोकि नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 28-08-2025 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आरती देवी पुत्री रमेश कुमार गांव घेका, डाकघर पन्ताह, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, की जन्म तिथि 24-07-2003 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत से सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका आरती देवी पुत्री रमेश कुमार गांव घेका, डाकघर पन्ताह की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव सेरी को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 08-12-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री कुशल सिंह, नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील तेलका,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं० : 69 ना० तह०/वाचक/उप तह०/तेलका/2025-937-38 दिनांक : 08-12-2025

आशा देवी पुत्री रूप सिंह, गांव पटोतरी, डाकघर बाड़का, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश वादिया।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत बाड़का, विकास खण्ड सलूणी प्रतिवादी।

विषय.—जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में प्राप्त दस्तावेज क्रमशः 1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या: HFW-B&D/CMO-CBA/2025-22700, dated 04-11-2025, 2. शपथ-पत्र, 3. जन्म रिपोर्ट, 4. अप्रायप्ता प्रमाण-पत्र, 5. परिवार नकल, 6. वोटर कार्ड, जिसमें आवेदिका आशा देवी पुत्री रूप सिंह, गांव पटोतरी, डाकघर बाड़का, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका आशा देवी का नाम एवं जन्म दर्ज न हुआ है, जोकि नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र दिनांक 04-11-2025 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आशा देवी पुत्री रूप सिंह, गांव पटोतरी, डाकघर बाड़का, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा की जन्म तिथि 01-07-2002 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत से सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह

10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका आशा देवी पुत्री रूप सिंह, गांव पटोतरी, डाकघर बाड़का की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव बाड़का को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 08-12-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री कुशल सिंह, नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील तेलका,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं० : 68

ना० तह०/वाचक/उप तह०/तेलका/2025-939-40

दिनांक : 08-12-2025

हेमा देवी पुत्री रूप सिंह, गांव पटोतरी, डाकघर बाड़का, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश वादिया।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत बाड़का, विकास खण्ड सलूणी

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में प्राप्त दस्तावेज क्रमशः 1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या: HFW-B&D/CMO-CBA/2025-22701, dated 04-11-2025, 2. शपथ-पत्र, 3. जन्म रिपोर्ट, 4. अप्रायप्ता प्रमाण-पत्र, 5. परिवार नकल, 6. वोटर कार्ड जिसमें आवेदिका हेमा देवी पुत्री रूप सिंह, गांव पटोतरी, डाकघर बाड़का, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका हेमा देवी का नाम एवं जन्म दर्ज न हुआ है जोकि नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र दिनांक 04-11-2025 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि हेमा देवी पुत्री रूप सिंह, गांव पटोतरी, डाकघर बाड़का, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा की जन्म तिथि 02-07-2005 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत से सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी का भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका हेमा देवी पुत्री रूप सिंह, गांव पटोतरी, डाकघर बाड़का की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव बाड़का को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 08-12-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

केस नम्बर : 42/T/2025

दर्ज तिथि : 04-06-2025

श्री प्रताप सिंह पुत्र रघुनाथ, निवासी टीका डूहक, डाकघर चौरी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती अधीन धारा 37-38 हिमाचल प्रदेश भू-अधिनियम, 1954.

दिनांक 04-06-2025 को प्रार्थी श्री प्रताप सिंह पुत्र रघुनाथ, निवासी टीका डूहक, डाकघर चौरी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने अपनी ओर से एक प्रार्थना-पत्र हिमाचल प्रदेश भू-अधिनियम, 1954 की धारा 37-38 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके अनुरोध किया है कि उसका नाम उसके सभी दस्तावेजों में प्रताप सिंह है। जबकि राजस्व विभाग में उसका नाम प्रताप चंद दर्ज है। जोकि प्रताप सिंह उर्फ प्रताप चंद राजस्व विभाग में दर्ज/दुरुस्त किया जावे।

प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र पर कार्रवाई करते हुए आरम्भिक जांच व छानबीन फिल्ड स्टाफ के माध्यम से करवाई गई व स्थानीय टीकादारान के ब्यानात दर्ज करवाए गए जिसमें पाया गया कि प्रार्थी को सभी लोग प्रताप सिंह उर्फ प्रताप चंद दोनों नामों से जानते हैं।

इस बारे आम जनता को बजरिया इश्तहार/मुश्री मुनादी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी श्री प्रताप सिंह पुत्र रघुनाथ, निवासी टीका डूहक, डाकघर चौरी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) का नाम प्रताप सिंह उर्फ प्रताप चंद दर्ज/दुरुस्त किए जाने बारे कोई आपत्ति एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 29-12-2025 को सुबह 11.00 बजे इस अदालत मुकाम सुजानपुर में अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकता है कोई आपत्ति एवं एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रताप सिंह पुत्र रघुनाथ, निवासी टीका डूहक, डाकघर चौरी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) का नाम राजस्व रिकार्ड में प्रताप सिंह उर्फ प्रताप चंद दर्ज तस्दीक कर दिया जावेगा व इसके उपरान्त कोई आपत्ति एवं एतराज मान्य नहीं होगा।

आज दिनांक 10-12-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

केस नम्बर : 44/T/2025

दर्ज तिथि : 19-06-2025

श्री प्रकाश चंद चंदेल पुत्र संत राम, निवासी महाल वैरी, डाकघर जंगलवैरी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र एराये नाम दुरुस्ती अधीन धारा 37-38 हिमाचल प्रदेश भू-अधिनियम, 1954.

दिनांक 19-06-2025 को प्रार्थी श्री प्रकाश चंद चंदेल पुत्र संत राम, निवासी महाल वैरी, डाकघर जंगलवैरी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने अपनी ओर से एक प्रार्थना-पत्र हिमाचल प्रदेश भू-अधिनियम, 1954 की धारा 37-38 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके अनुरोध किया है कि उसका नाम उसके सभी दस्तावेजों में प्रकाश चंद चंदेल है। जबकि राजस्व विभाग में उसका नाम प्रकाश चंद दर्ज है। जोकि प्रकाश चंद चंदेल राजस्व विभाग में दर्ज/दुरुस्त किया जावे।

प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र पर कार्रवाई करते हुए आरम्भिक जांच व छानबीन फिल्ड स्टाफ के माध्यम से करवाई गई व स्थानीय टीकादारान के ब्यानात दर्ज करवाए गए जिसमें पाया गया कि प्रार्थी को सभी लोग प्रकाश चंद व प्रकाश चंद चंदेल दोनों नामों से जानते हैं।

इस बारे आम जनता को बजरिया इश्तहार/मुश्री मुनादी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व रिकार्ड में श्री प्रकाश चंद चंदेल पुत्र संत राम, निवासी महाल वैरी, डाकघर जंगलवैरी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) का नाम राजस्व विभाग में प्रकाश चंद की बजाये प्रकाश चंद चंदेल दर्ज/दुरुस्त किए जाने बारे कोई आपत्ति एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 29-12-2025 को सुबह 11.00 बजे इस अदालत मुकाम सुजानपुर में अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकता है कोई आपत्ति एवं एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थी उपरोक्त का नाम प्रकाश चंद चंदेल दर्ज/दुरुस्त तस्दीक कर दिया जावेगा व इसके उपरान्त कोई आपत्ति एवं एतराज मान्य नहीं होगा।

आज दिनांक 10-12-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

केस नम्बर	किस्म मुकद्दमा	दायर तिथि	आगामी तारीख पेशी/सुनवाई
54/2025	इंद्राज जन्म तिथि	09-12-2025	29-12-2025

श्रीमती शुकुन्तला देवी पुत्री कांशी राम, निवासी महाल वल्ह तन्यानकड, डाकघर चवूतरा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 श्रीमती शुकुन्तला देवी पुत्री कांशी राम, निवासी महाल वल्ह तन्यानकड, डाकघर चवूतरा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) के सम्बन्ध में इश्तहार/सूचना/मुश्री मुनादी आदि।

श्रीमती शुकुन्तला देवी पुत्री कांशी राम, निवासी महाल वल्ह तन्यानकड, डाकघर चवूतरा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) द्वारा आवेदन-पत्र शपथ-पत्र अन्य सम्बन्धित दस्तावेजों/रिकॉर्ड सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, जिसमें उल्लेख है कि श्रीमती शुकुन्तला देवी पुत्री कांशी राम, निवासी महाल

वल्ह तन्यानकड, डाकघर चवूतरा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) का जन्म दिनांक 20-04-1957 को हुआ है, जोकि अज्ञानतावश सम्बन्धित ग्राम पंचायत सावका चवूतरा/हाल मनिहाल के जन्म व मृत्यु रजिस्टर में आज दिन तक दर्ज नहीं हुआ है। अतः प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि की घटना का पंजीकरण ग्राम पंचायत सावका चवूतरा/हाल मनिहाल के रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार/मुश्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थिया श्रीमती शुकुन्तला देवी पुत्री कांशी राम, निवासी महाल वल्ह तन्यानकड, डाकघर चवूतरा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 20-04-1957 की घटना का पंजीकरण ग्राम पंचायत सावका चवूतरा/हाल मनिहाल के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतना दिनांक 29-12-2025 को इस अदालत में प्रातः 11.00 बजे उपस्थित होकर अपना उजर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उक्त जन्म तिथि 20-04-1957 की घटना का पंजीकरण ग्राम पंचायत सावका चवूतरा/हाल मनिहाल के रिकार्ड में दर्ज करने आदेश पारित कर दिए जाएंगे तथा बाद में किसी भी प्रकार का कोई उजर मान्य नहीं होगा।

आज दिनांक 10-12-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

**In the Court of Sh. Sanjeet Singh, HPAS , Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Hamirpur (H.P.)**

In the matter of:—

1. Sh. Lakhmir Singh s/o Sh. Ranjhu Ram, r/o Village Gauta, P.O. Ukhli, Ward No. 2, Tehsil & District Hamirpur (H.P.).

2. Smt. Seerat d/o Sh. Hem Raj, r/o Vill. Bhan (Suknal), P.O. Jawalamukhi, District Kangra (H.P.).

..Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Notice for Registration of Marriage.

Sh. Lakhmir Singh and Smt. Seerat have filed an application U/s 15&16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents before the Court of undersigned, stating there in that their marriage ceremony has been performed on 11-08-2025 at Village Gauta, P.O. Ukhli, Tehsil & District Hamirpur (H.P.) according to Hindu rites and customs.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objections personally or in writing, before this court on or before 06-01-2026. In case no objection is received by 06-01-2026, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 06-12-2025.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-SDM,
Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur (H.P.).*

**ब अदालत श्री चाँद राम कश्यप, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील शिमला ग्रामीण,
जिला शिमला (हि0प्र0)**

मुकद्दमा संख्या : 31/2025

तारीख मजरुआ : 17-06-2025

तारीख पेशी : 27-12-2025

श्रीमती विद्वया देवी पत्नी नरेश कुमार पुत्री मदन सिंह, निवासी भाटिया, निवास तारा देवी कलौनी,
डाकघर तारा देवी, तहसील शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश प्राथिया।

बनाम

आम जनता

राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती के बारे पत्र।

श्रीमती विद्वया देवी पत्नी नरेश कुमार पुत्री मदन सिंह, निवासी भाटिया, निवास तारा देवी कलौनी,
डाकघर तारा देवी, तहसील शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि
प्राथिया महाल जंगल तारब के खाता/खतौनी 13/13, कित्ता 19, कुल रकबा 0-01-50 हैक्ट. में मालिका
दर्ज है। महाल जंगल तारब के राजस्व अभिलेख में प्राथिया का नाम विद्वया पत्नी किरपा नाम दर्ज है प्राथिया
को कानूनी तौर पर किरपा राम पुत्र हिमरू से तलाक हो चुका है तदोपरान्त प्राथिया महाल जंगल तारब के
राजस्व रिकार्ड में विद्वया पत्नी किरपा राम दर्ज है प्राथिया ने कानूनी तौर पर किरपा राम पुत्र हिमरू से
तलाक हो चुका है तदोपरान्त प्राथिया महाल जंगल तारब के राजस्व रिकार्ड में विद्वया पत्नी किरपा राम के
स्थान पर श्रीमती विद्वया पुत्री मदन दर्ज करके दुरुस्त करना चाहती है।

अतः इशतहार हजा के आदेश के बाद बजरिया इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है
कि यदि किसी को भी उपरोक्त मुकद्दमा राजस्व रिकार्ड में उपरोक्त दुरुस्ती करने बारे कोई उजर व एतराज
हो तो स्वयं या लिखित तौर पर दिनांक 27-12-2025 को प्रातः 10.00 बजे कोर्ट परिसर चक्कर में या
उपरोक्त तिथि से पहले अपना एतराज पेश करें अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 03-12-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील शिमला ग्रामीण,
जिला शिमला (हि0प्र0)**

मुकद्दमा नं0 : 27/2025

तारीख मरजुआ : 22-03-2025

तारीख पेशी : 27-12-2025

1. श्री अनिल कुमार सूद, रोशन लाल, निवासी लोअर विकास नगर, शिमला, तहसील व जिला शिमला
हिमाचल प्रदेश प्राथी।

बनाम

1. श्रीमती प्रेमा देवी पुत्री गीता देवी, निवासी लोअर विकास नगर, शिमला, तहसील व जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश, 2. राम करण पुत्र सीता राम, लोअर विकास नगर, शिमला, तहसील व जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश, 3. संजीव पुत्र राम सुख, लोअर विकास नगर, शिमला, तहसील व जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश, 4. सुशील पुत्र राम सुख, लोअर विकास नगर, शिमला, तहसील व जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश, 5. सुधीर पुत्र राम सुख, लोअर विकास नगर, शिमला, तहसील व जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश, 6. श्रीमती सुनीता पत्नी राम सुख, लोअर विकास नगर, शिमला, तहसील व जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश, 7. रोशन लाल पुत्र गोविन्द, निवासी गांव शाकरा, तहसील करसोग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश, 8. श्रीमती शन्ति पत्नी रोशन लाल, गांव शाकरा, तहसील करसोग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश, 9. तिलक राम पुत्र भादर चंद, निवासी कश्मीर, तहसील करसोग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

1. श्री अनिल कुमार सूद, रोशन लाल, निवासी लोअर विकास नगर, शिमला, तहसील व जिला शिमला हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत भू-विभाजन हेतु अराजी खाता/खतौनी नं० 371/626 वाका महाल विकासनगर, तहसील शिमला, ग्रामीण जिला शिमला, हि०प्र० बारे प्रस्तुत किया है। कई बार इस अदालत द्वारा समन जारी किए गये परन्तु प्रतिवादीगण के मौका पर न मिलने व रिपोर्ट तमील कुनिदा के कारण तामील न हो सकी। जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादीगण जानबूझ कर उपरोक्त मुकद्दमा में पेश न हो रहे हैं।

अतः अदालत को विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादी नं० 1 ता 9 की तामील साधारण तरीके से होना मुश्किल है। अतः इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त मुकद्दमा भू-विभाजन बारे कोई उजर व एतराज हो तो स्वयं व लिखित तौर पर दिनांक 27-12-2025 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत कोर्ट परिसर चक्कर में आकर अपना एतराज पेश करें। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 01-12-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०)।

**In the Court of Sh. Daya Nand Sharma, Executive Magistrate, Grade-II, Rohru,
District Shimla (H.P.)**

In the matter of :

Smt. Ishwari Devi w/o Sh. Bhlor, r/o Village & P.O. Khangteri, Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.)
.. Applicant.

Versus

General Public

.. Respondent.

Subject.—Application under section 13 (3) of the Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Smt. Ishwari Devi w/o Sh. Bhlor, r/o Village & P.O. Khangteri, Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.) has filed an application alongwith affidavit in the court of the undersigned

under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969, to enter the date of birth of herself (11-09-1975) in the record of Birth Register of Gram Panchayat Khangteri.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding to enter the date of birth of Smt. Ishwari Devi w/o Sh. Bhlor, they should appear before the court of undersigned within 30 days from the publication of this notice, either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, it would be deemed that there is no objection and order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this 6th December, 2025.

Seal.

Sd/-
(DAYA NAND SHARMA),
Executive Magistrate, Grade II,
Rohru, District Shimla (H.P.).

**IN THE COURT OF NAIB TEHSILDAR-CUM-EXECUTIVE MAGISTRATE SHIMLA
(URBAN), DISTRICT SHIMLA, (H.P.)**

Smt. Rekha Datta d/o Sh. Narinder Datta, w/o Sh. Sanjeev Malhotra, r/o 662, Block C, Sushant Lok-1, Galleria, DLF-IV, Gurgaon Haryana 122009

. .Applicant.

Versus

. .Respondent.

General Public

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Smt. Rekha Datta d/o Sh. Narinder Datta, w/o Sh. Sanjeev Malhotra, r/o 662, Block C, Sushant Lok-1 Galleria, DLF-IV, Gurgaon Haryana 122009 has preferred an application to the undersigned for registration of date of birth of herself namely REKHA DATTA (DOB 19-06-1970) at 8 Fay Lodge, Old Main Bus Stand Shimla, Tehsil & District Shimla (H.P.).

Therefore through this proclamation, the General Public is hereby informed that any person having any objection for entry of date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court within 30 (Thirty) days from the date of publication of this notice in official Gazette. No objection will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the court on this 6th December, 2025.

Seal.

Sd/-
Naib Tehsildar, Shimla (Urban),
District Shimla (H.P.).

**IN THE COURT OF NAIB TEHSILDAR-CUM-EXECUTIVE MAGISTRATE SHIMLA
(URBAN), DISTRICT SHIMLA, (H.P.)**

Mohammad Ali Rehman s/o Late Sh. Mohammad Yameen, r/o Hamid Building Gurudwara Road Sanjauli, Shimla (H.P.) 171006.

. .Applicant.

Versus

. .Respondent.

General Public

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Mohammad Ali Rehman s/o Late Sh. Mohammad Yameen, r/o Hamid Building Gurudwara Road Sanjauli, Shimla (H.P.) 171006 has preferred an application to the undersigned for registration of date of death of his father namely Mohammad Yameen (DOD 17-02-2017) at Hamid Building, Gurudwara Road, Sanjauli, Shimla (H.P.) 171001 in the record of Municipal Corporation, Shimla.

Therefore through this proclamation, the General Public is hereby informed that any person having any objection for entry of date of death mentioned above, may submit his objection in writing in this court within 30 (Thirty) days from the date of publication of this notice in official Gazette. No objection will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the court on this ... December, 2025.

Seal.

Sd/-
Tehsildar, Shimla (Urban),
District Shimla (H.P.).

**IN THE COURT OF NAIB TEHSILDAR-CUM-EXECUTIVE MAGISTRATE SHIMLA
(URBAN), DISTRICT SHIMLA, (H.P.)**

Sonia Kumari w/o Vijay Kumar, r/o Ashoka Hotel, Block No. 1 House No. 38, Lakkar Bazar, Shimla (H.P.)

. .Applicant.

Versus

. .Respondent.

General Public

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Sonia Kumari w/o Vijay Kumar, r/o Ashoka Hotel, Block No. 1 House No. 38, Lakkar Bazar, Shimla (H.P.) has preferred an application to the undersigned for registration of date of death of her daughter namely Tanu Devi d/o Sh. Vijay Kumar (DOD 04-12-2023) on the way from Lakkar Bazaar to KNH Shimla (H.P.).

Therefore through this proclamation, the General Public is hereby informed that any person having any objection for entry of date of death mentioned above, may submit his objection in writing in this court within 30 (Thirty) days from the date of publication of this notice in official Gazette. No objection will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the court on this 15 December, 2025.

Seal.

Sd/-

*Naib Tehsildar, Shimla (Urban),
District Shimla (H.P.).*

**IN THE COURT OF NAIB TEHSILDAR-CUM-EXECUTIVE MAGISTRATE SHIMLA
(URBAN), DISTRICT SHIMLA, (H.P.)**

Shanti w/o Sh. Surya Shahi, r/o Deet Bye Pass Dilsaur Matli, P.O. Raturisera Uttarakhand-249193 India . *Applicant.*

Versus

. Respondent.

General Public

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Shanti w/o Sh. Surya Shahi, r/o Deet Bye Pass Dilsaur Matli, P.O. Raturisera Uttarakhand-249193 India has preferred an application to the undersigned for registration of date of birth of her daughter namely ANSHIKA SHAHI (DOB 27-12-2021) at Surender Building, Malyana, Shimla-171006 (H.P.).

Therefore through this proclamation, the General Public is hereby informed that any person having any objection for entry of date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court within 30 (Thirty) days from the date of publication of this notice in official Gazette. No objection will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the court on this 15 December, 2025.

Seal.

Sd/-

*Naib Tehsildar, Shimla (Urban),
District Shimla (H.P.).*

**IN THE COURT OF NAIB TEHSILDAR-CUM-EXECUTIVE MAGISTRATE SHIMLA
(URBAN), DISTRICT SHIMLA, (H.P.)**

Raj Bahadur s/o Sh. Surinder Singh, r/o Pasli Cottage, Tutikandi, Shimla 171004 (H.P.). . *Applicant.*

Versus

General Public

. .Respondent.

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Raj Bahadur s/o Sh. Surinder Singh, r/o Pasli Cottage, Tutikandi, Shimla 171004 (H.P.) has preferred an application to the undersigned for registration of date of birth of himself namely Raj Bahadur (DOB 19-10-1977) at Pasli Cottage, Tutikandi, Shimla 171004 (H.P.).

Therefore through this proclamation, the General Public is hereby informed that any person having any objection for entry of date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court within 30 (Thirty) days from the date of publication of this notice in official Gazette. No objection will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the court on this ... December, 2025.

Seal.

Sd/-

*Naib Tehsildar, Shimla (Urban),
District Shimla (H.P.).*

**IN THE COURT OF TEHSILDAR-CUM-EXECUTIVE MAGISTRATE SHIMLA
(URBAN), DISTRICT SHIMLA, (H.P.)**

Smt. Pema Lhamo d/o Sh. Tsewang Dorjee, r/o Tibetan Colony, Nabha House, P.O. Chaura Maidan, Shimla (H.P.)

. .Applicant.

Versus

. .Respondent.

General Public

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Smt. Pema Lhamo d/o Sh. Tsewang Dorjee, r/o Tibetan Colony, Nabha House, P.O. Chaura Maidan, Shimla (H.P.) has preferred an application to the undersigned for registration of date of birth of herself namely PEMA LHAMO (DOB 17-07-1984) at Tibetan Colony, Nabha House, P.O. Chaura Maidan, Shimla (H.P.).

Therefore through this proclamation, the General Public is hereby informed that any person having any objection for entry of date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court within 30 (Thirty) days from the date of publication of this notice in official Gazette. No objection will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the court on this ... December, 2025.

Seal.

Sd/-

*Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Shimla (Urban),
District Shimla (H.P.).*

IN THE COURT OF EXECUTIVE MAGISTRATE CHOPAL, DISTRICT SHIMLA (H.P.)

Sh. Bhag Mal Negi s/o Sh. Man Singh Negi, r/o Village Nar (Bhadara), P.O. Jhiknipul, Tehsil Chopal, District Shimla (H.P.) ..Applicant.

Versus

..Respondent.

General Public Tehsil Chopal

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Bhag Mal Negi s/o Sh. Man Singh Negi, r/o Village Nar (Bhadara), P.O. Jhiknipul, Tehsil Chopal, District Shimla (H.P.) has preferred an application to the undersigned for registration of name of his/her Son/Daughter namely Miss. Samriti Negi (DOB 06-06-2003) in the Gram Panchayat Jhiknipul, Tehsil Chopal, District Shimla (H.P.).

Therefore through this proclamation, the General Public is hereby informed that any person having any objection for entry of date of birth mentioned above, may submit his/her objection in writing in the court before 10-01-2026 failing which no objection will be entertained after expiry of date and application will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the court on this 10th December, 2025.

Seal.

Sd/-
Executive Magistrate, Chopal,
District Shimla (H.P.).

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 : /2025

दायर तिथि :

श्रीमती गुरुदेवी पत्नी ओमप्रकाश, निवासी अम्बोया, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थिया श्रीमती गुरु देवी पत्नी ओमप्रकाश, निवासी अम्बोया, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें आवेदिका श्रीमती गुरुदेवी पत्नी ओमप्रकाश, निवासी अम्बोया ने आग्रह किया है कि उसका पुत्र जिसका नाम अजीत कुमार पुत्र ओमप्रकाश है, अजीत कुमार पुत्र ओमप्रकाश आर्मी में है जिसका आर्मी नम्बर JC-291146H, Rank Nb Sub (RST) है। प्रार्थिया श्रीमती गुरुदेवी का कहना है कि उसके पुत्र के आर्मी रिकॉर्ड में उसका नाम व जन्म तिथि गलत है, जबकि आवेदिका के अनुसार उसका सही नाम गुरु देवी व जन्म तिथि 01-01-1958 है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 29-12-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी दिन कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में श्रीमती गुरु देवी पत्नी ओमप्रकाश, निवासी अम्बोया, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 29-11-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

**In the Court of Sh. Om Prakash Thakur, H.P.A.S., Sub-Divisional Magistrate, Kaffota,
District Sirmaur, Himachal Pradesh**

In the matter of:—

1. Ramesh s/o Shri Kansu Ram, r/o Village Bokala, P.O. Shila, Tehsil Kamrau, District Sirmaur (H.P.).

2. Seema Devi, d/o Shri Ram Lal, r/o Village Bokala, P.O. Shila, Tehsil Kamrau, District Sirmaur (H.P.)
..Applicants.

Versus

General Public

Subject.— Proclamation for Registration of Marriage under section 8(4) of the H.P. Registration of Marriage Act, 1996.

Shri Ramesh and Seema have filed an application on 24-11-2025 alongwith affidavits in the court of undersigned under section 8.4 of the Registration of Marriage Act, 1996 that they have solemnized their marriage on 11-07-2019 and they are living as husband and wife since then. Due to ignorance they have not register their marriage in concerned Panchayat (Registrar of Marriage). Therefore their marriage may be registered under section 8.4 of Himachal Pradesh Registration of Marriage Act, 1996.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 29-12-2025. The objection received after 29-12-2025 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 29-11-2025 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-
(OM PRAKASH THAKUR, HPAS),
Sub-Divisional Magistrate,
Kaffota, District Sirmaur (H.P.).

**In the Court of Dr. Poonam HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Solan,
Tehsil & District Solan, Himachal Pradesh**

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT

Whereas, Mr. Edwin Peter Martin Luis, son of Mr. John Francis Luis, resident of Flat No. 2, Block No. 14, Himuda Housing Board Colony, Phase-2, Saproon, Tehsil and District Solan (H.P.) and Mrs. Rita Luis, daughter of Mr. Rampal Sharma and wife of Mr. Edwin Peter Martin Luis, presently resident of Flat No. 2, Block No. 14, Himuda Housing Board Colony, Phase-2, Saproon, Tehsil and District Solan, (H.P.), have filed an application for the registration of their marriage, which was solemnized on 23-02-1993 and they have been living as husband and wife ever since then.

And whereas, both applicants have submitted in their application and in their affidavits that Mr. Edwin Peter Martin Luis and Mrs. Rita Luis were unmarried at the time of solemnization of their marriage and were major in age and having no prohibited relations to each other debarring them to marry each other. Both the applicants have requested for registration of their marriage.

Notices have been served to all concerned and General Public to this effect that if anybody has got any objection regarding the registration of marriage duly solemnized between the above parties *i.e.* Mr. Edwin Peter Martin Luis and Mrs. Rita Luis, they may file their written objections and appear personally or through their authorized agents before me within a period of thirty days from the date of issuance of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this Court post which no objection will be heard or accepted.

Issued under my hand and seal on this 06th day of December, 2025.

Seal.

Sd/-
(Dr. POONAM, HPAS),
*Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate Solan,
District Solan (H.P.).*

CORRECTION OF NAME

I, Lovely s/o Sh. Hushyar Singh, r/o Village Basua, P.O. Thaneikothi, Tehsil Churah, Distt. Chamba (H.P.) declare that in my Aadhar Card bearing number 5794 1442 2276 my name is wrongly entered as Lavli s/o Hoshiar Singh which is incorrect. Whereas my correct name is Lovely s/o Sh. Hushyar Singh. I shall be known as Lovely s/o Sh. Hushyar Singh, for all purposes in future. Please note.

LOVELY
*s/o Sh. Hushyar Singh,
r/o Village Basua, P.O. Thaneikothi,
Tehsil Churah, Distt. Chamba (H.P.).*

CHANGE OF NAME

I, Prahlad Mirdha s/o Late Sh. Dinesh Kumar, r/o Village Ramehar, P.O. Bhawarna, Tehsil Palampur, Distt. Kangra (H.P.) declare that I have changed my name from Prahlad to Prahlad Mirdha for all purposes in future. All concerned please note.

PRAHLAD MIRDHA
s/o Late Sh. Dinesh Kumar,
r/o Village Ramehar, P.O. Bhawarna,
Tehsil Palampur, Distt. Kangra (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Maheshwari Chauhan w/o Gita Nand, Village Naw, Naw (525), P.O. Aut, Distt. Mandi (H.P.) declare that in my Aadhar No. 4696 8331 7064 as Bhavneswari is wrongly entered, correct name is Maheshwari Chauhan.

MAHESHWARI CHAUHAN
w/o Gita Nand,
Village Naw, Naw (525),
P.O. Aut, Distt. Mandi (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Army No. Sd-600074, Rank LDC Mehar Singh, r/o Village Seri Jeri, P.O. Kashlog, Tehsil Arki, Distt. Solan (H.P.) declare that my wife's name Anjana Sen is wrongly recorded as Anjana Devi in my military records/Part 2 Order. This may please be corrected to Anjana Sen. Concerned authorities may take note.

LDC MEHAR SINGH
r/o Village Seri Jeri, P.O. Kashlog,
Tehsil Arki, Distt. Solan (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Jitender Kumar s/o Sh. Prakash Chand, r/o Village Nughal (Purli), P.O. Kakkar, Tehsil Bamson at Tauni Devi, Distt. Hamirpur (H.P.) declare that in birth certificate of my daughter her name is wrongly entered as Vaishnavi. Whereas her correct name is Vaishnavi Rana. She shall be known as Vaishnav Rana for all purposes in future. All concerned please note.

JITENDER KUMAR
s/o Sh. Prakash Chand,
r/o Village Nughal (Purli), P.O. Kakkar,
Tehsil Bamson at Tauni Devi,
Distt. Hamirpur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Sanjay Kumar s/o Sh. Matwar Singh, r/o Village Patti, P.O. Rissa, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Aditya Thakur to Abhishek Thakur for all purposes in future. Please note.

SANJAY KUMAR
s/o Sh. Matwar Singh,
r/o Village Patti, P.O. Rissa,
Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Sunder Singh s/o Sh. Pratap Singh, r/o VPO Nirath, Tehsil Rampur Bsr. Distt. Shimla (H.P.)-172001 declare that in my daughter Akshita's school record & educational certificates her mother's name is wrongly entered as Beena which should be corrected as Beena Devi. Please correct this.

SUNDER SINGH
s/o Sh. Pratap Singh,
r/o VPO Nirath, Tehsil Rampur Bsr.
Distt. Shimla (H.P.)-172001.

CORRECTION OF NAME

I, Ramesh Chand s/o Sh. Sunder, r/o Village Riyur, P.O. & Tehsil Dharampur, Distt. Mandi (H.P.) declare that in Aadhar Card of my minor son's bearing no. 3900 5859 2888 his name is wrongly entered as Sirleen Arya. Whereas his correct name is Sarlin Arya. All concerned please note.

RAMESH CHAND
s/o Sh. Sunder, r/o Village Riyur,
P.O. & Tehsil Dharampur,
Distt. Mandi (H.P.).
